भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/04/08/2017/एफ.सी./ 234 दिनॉकः 28.08.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान–302005

विषय : Diversion of 35.4291 ha. forest land for 132 K.V. D/C Nokha Daiya to Khajwwala Tranasmission Line in favour of RRVPNL, Distt. Bikaner

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), जयपुर, **राजस्थान का पत्रांक– एफ14(RRVPNL)/2015/एफसीए/प्रमुवसं/2698, दिनांक– 11.08.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण को दिनांक– 26.07.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 19वी बैठक में एजेण्डा नं0–19.11–राज0 पर विचार हेतु सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति (आवश्यक सूचना चाहते हुए) प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 35.4291 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं कुल (208 वृक्षों के पातन एवं 290 वृक्षों के टहनियों की छटनी) की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 70.8578 हे0 (छत्तरगढ़ वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि 29.370x2= 58.74 ha. + बीकानेर वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि 6.0589x2= 12.1178 ha. **कुल 70.8578 हे0**) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जाएगा।

9. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. परियोजना के निर्माण और रख–रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जाएगी।

12. प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जाएगा।

13. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

16. परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक– 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।

17. राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विमुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या एवं वांछित वचनवद्धता प्रमाण पत्र (अण्डरटेकिंग) इस कार्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, स्टेज–।।, बीकानेर/स्टेज–।, छतरगढ़, राजस्थान।
5. सहायक अभियन्ता, RRVPNL, 66 के0वी0, जीएसएस, सागर रोड, बीकानेर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

28.8.17

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)